प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 04 सितम्बर, 2015

- आज दिनांक 04 सितम्बर, 2015 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से मा0 कुलपति जी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक प्रारम्भ हुई जिसमें जिसमें कुल 42 एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा सम्पन्न हुई। विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा जिन महत्वपूर्ण एजेण्डा बिन्दुओं पर निर्णय लिया गया उनका सारांश निम्नवत् प्रस्तुत है-

1. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा इस चिकित्सा विश्वविद्यालय में दिनांक 11 अगस्त, 2015 से पूर्व सह आचार्य एवं आचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु वांछित अर्हता पूर्ण करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को पुराने नियमों के अनुसार ही सह आचार्य एवं आचार्य के पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।**
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों के वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण एस0जी0पी0जी0आई0 के नियमों के अनुसार कराये जाने का निर्णय लिया गया जबकि चिकित्सा शिक्षकों हेतु यह व्यवस्था वैकल्पिक होगी।
3. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली की **धारा 41 की उपधारा 10.01 (6) में परिवर्तन किये जाने का निर्णय** शासनादेश दिनांक 11 अगस्त, 2015 के इस चिकित्सा विश्वविद्यालय पर प्रभावी होने के कारण लिया गया। ***अब चिकित्सा विश्वविद्यालय के चिकित्सा शिक्षकों के वेतन एवं भत्ते वहीं होगें जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा एस0जी0पी0जी0आई0 के चिकित्सा शिक्षकों को अनुमन्य होगें*** सम्बंधी व्यवस्था इंगित की जायेगी।
4. **दिनांक 11 अगस्त, 2015 को इस चिकित्सा विश्वविद्यालय के चिकित्सा शिक्षकों के ऊपर शासनादेश दिनांक 11 अगस्त, 2015 के प्रभावी होने की तिथि से अथवा उसके पश्चात् समस्त नियुक्तियां एवं प्रोन्नतियां एस0जी0पी0जी0आई0 मानकों के अनुरूप ही किये जाने का निर्णय लिया गया।**
5. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा **डा0 सीमा मेहरोत्रा**, सह आचार्य, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग जो कि आचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु वांछित अर्हता दिनांक 27.07.2015 को

पूर्ण कर रही थी को चयन समिति की संस्तुतियोंनुसार **आचार्य के पद पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।**

6. जबकि प्रास्थोडोण्टिक्स विभाग में **डा0 पूरन चन्द** को आचार्य के पद पर, **डा0 जितेन्द्र कुमार राव** को आचार्य के पद पर, **डा0 कमलेश्वर सिंह** को सह आचार्य के पद पर, **डा0 दीक्षा आर्या** को सह आचार्य के पद पर, **डा0 सुनित कुमार जुरैल** को सह आचार्य के पद पर, **डा0 रघुवर दयाल सिंह** तथा **डा0 एस0वी0सिंह** को प्रोफेसर जूनियर ग्रेड (एडीशनल प्रोफेसर) के पद पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।
7. कंजरवेटिव डेण्टिस्ट्री एवं इण्डोडोण्टिक्स विभाग में **डा0 रमेश भारती** सह आचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की संस्तुतियोंनुसार प्रोन्नति प्रदान की गयी।
8. जबकि **डा0 रमाशंकर**, सह आचार्य, प्रास्थोडोण्टिक्स विभाग एवं **डा0 अनीश खन्ना**, सह आचार्य, कम्यूनिटी मेडिसिन विभाग को चयन समिति की संस्तुतियोंनुसार **प्रोन्नति हेतु अर्ह नहीं पाया गया है।**
9. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा इस चिकित्सा विश्वविद्यालय के **नवीन शैक्षणिक ब्लाक** का नाम परिवर्तित करते हुए **कलाम सेण्टर** रखे जाने पर अपनी संस्तुति प्रदान की गयी।
10. कार्यपरिषद द्वारा चिकित्सा विश्वविद्यालय के पॉच संविदा शिक्षकों क्रमशः **डा0 संजय मेहरोत्रा, डा0 अरविन्द मिश्रा, डा0 दिवाकर दलेला, डा0 राकेश शुक्ला** को पुनः एक वर्ष हेतु संविदा नियुक्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।
11. प्रो0 वी0पी0शर्मा को शासन द्वारा की गयी व्यवस्था के अनुरूप 70000/- के स्थान पर 90000/- प्रतिमाह वेतन दिये जाने का निर्णय लिया गया।
12. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में चिकित्सा शिक्षकों की प्रोन्नति तथा नियुक्ति हेतु वांछित साईन्टिफिक पल्लिकेशन एम0सी0पी0जी0आई0 के समान रखे जाने का निर्णय लिया गया।
13. आज दिनांक 04 सितम्बर, 2015 को दैनिक समाचार पत्र नवभारत टाईम्स में **डा0 के0पी0सिंह, डा0 एल0के0सैनी एवं डा0 अभिमान सिंह**, चिकित्साधिकारी, पी0एम0आर0

विभाग के सम्बंध में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा प्रकरण की जांच हेतु **प्रो0 जी0के0शुक्ला** की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति के अन्य सदस्य **प्रो0 एस0डी0 पाण्डेय** एवं **प्रो0 गुरूमित सिंह** होगें।

14. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा **डा0 संजय खत्री** के प्रत्यावेदन के मूल्यांकन हेतु प्रकरण को **प्रो0 एस0डी0 पाण्डेय एवं प्रो0 गुरूमित सिंह** की सदस्यता वाली समिति को सौपे जाने का निर्णय लिया गया।

15. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय के चिकित्सलय में ओ0टी0 इत्यादि की गुणवत्ता की जांच तथा गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार सुरक्षित किये जाने के दृष्टिगत **क्वालिटी एश्योरेंश अधिकारी** की तैनाती किये जाने का निर्णय लिया गया।

16. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा के0जी0एम0यू0 कॉलेज ऑफ नर्सिंग का नाम परिवर्तित करते हुए **के0जी0एम0यू0 इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग** रखे जाने का निर्णय लिया गया।

17. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा **डा0 ओ0पी0सिंह एवं डा0 नईम अहमद** के प्रकरण की जांच हेतु लम्बित समस्त प्रकरणों की जांच हेतु **जस्टिस, डा0 खेम करन, जस्टिस, डा0 वेद पाल एवं श्री जी0बी0पटनायक, आई0ए0एस0** की सदस्यता वाली समिति का गठन किया गया।

18. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा **डा0 तुलिका चन्द्रा**, विभागाध्यक्ष, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के प्रस्ताव पर **ब्लड बैंक द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं के शुल्क में वृद्धि किये** जाने का निर्णय लिया गया।

19. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा के0जी0एम0यू0 इस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के अधीन बी0एस0सी0 नर्सिंग की ही भॉति एम0एसी0 नर्सिंग एवं पी0एच0डी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

20. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय 11 की धारा 23 (1) उपधारा 11.11 में निम्नवत् परिवर्ततन किये जाने का निर्णय लिया गया-

Section of Statute	Existing Statutes	Recommended Version

Section: 23 (i) sub Section 11.11	The Executive Council shall constitute, for such terms as it thinks fit, a Disciplinary Committee in the University which shall consist of the Vice-Chancellor and four other persons nominated by it with one member of Scheduled Castes/Scheduled Tribes and one of other backward classes category in addition the registrar shall be be **member** secretary of the Committee.	**The Executive Council shall constitute, for such terms as it thinks fit, a Disciplinary Committee in the University which shall consist of the Vice-Chancellor or his nominee and two other persons. The Committee will include one member of Scheduled Castes or Other Backward Caste if the person whose case is being heard is from Scheduled Castes or Other Backward Castes respectively.**

21. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली में जो व्यवस्था इंगित न हो वहां लखनऊ विश्वविद्यालय परिनियमावली में प्राविधानित व्यस्थाओं को अपनाये जाने का निर्णय लिया गया।

22. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय में इंजिनियर कैडर की विद्यमान चिकित्सा शिक्षकों के पदों पर प्रोन्नति हेतु आई0आई0टी0 में प्रोन्नति हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया अपनाये जाने का निर्णय लिया गया।

शिक्षक दिवस समारोह

- कल दिनांक 05 सितम्बर, 2015 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से इस चिकित्सा विश्वविद्यालय के **प्रशासनिक भवन स्थित सेल्बी हॉल** में **"शिक्षक दिवस समारोह"** मनाया जायेगा। इस अवसर पर सभी **मीडिया मित्र** सादर आमंत्रित है। शिक्षक दिवस के शुभअवसर पर विश्वविद्यालय के चुनिन्दा शिक्षकों को उनकी उत्कृष्ठ सेवाओं हेतु सम्मानित किया जाना है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रो0 पी0 के0 मिश्रा, पूर्व प्राचार्य, केजीएमसी होगीं। इस अवसर पर सभी चिकित्सा शिक्षकों एवं आमंत्रित सभी मा0 अतिथियों को भोज हेतु भी आमंत्रित किया गया है।

मीडिया प्रभारी
केजीएमयू, लखनऊ।